

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे एवं संभावना का अध्ययन

Monu*

M.A. in History (UGC NET /JRF) MDU, Rohtak

शोध सार: संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय अंतरसरकारी संगठन के निर्माण का विश्व का दूसरा प्रयास था। राष्ट्र संघ की असफलता ने एक ऐसे नये संगठन की स्थापना के विचार को जन्म दिया जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक समतापूर्ण व न्यायोचित बनाने में केन्द्रीय भूमिका अदा कर सके। यह विचार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उभरा तथा 5 राष्ट्रमंडल सदस्यों तथा 8 यूरोपीय निर्वासित सरकारों द्वारा 12 जून, 1941 को लंदन में हस्ताक्षरित अंतर-मैत्री उद्घोषणा में पहली बार सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त हुआ। इस उद्घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया, जिसमें लोग शांति व सुरक्षा के साथ रह सकें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को ऐसे मंच के रूप में देखा है जो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के गारंटर के रूप में भूमिका निभा सकता है। हाल के समय में, भारत ने विकास एवं गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, जलदस्युता, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार, शांति निर्माण एवं शांति स्थापना की बहुपक्षीय वैश्विक चुनौतियों की भावना में संघर्ष करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इस शोध-पत्र में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे एवं संभावना का अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, सुरक्षा परिषद्, स्थायी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र संघ।

-----X-----

मानव समाज में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने के लिए एक अन्तराष्ट्रीय मंच की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जाती रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भिक दिनों में ही सर्वत्र महसूस किया जाने लगा था कि मित्र राष्ट्रों की विजय के उपरान्त एक प्रकार का अन्तराष्ट्रीय संगठन स्थापित किया जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इस संगठन ने अन्तराष्ट्रीय शांति तथा सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार मानने तथा सद्भाव विकसित करने में अपना योगदान दिया।

मानवता के आशाद्वीप के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। यह आशा भूतपूर्व महासचिव डॉग हैमर शोल्ड के अनुसार इस बात की आशा है कि शांति संभव है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय राष्ट्रपति ट्रुमैन ने कहा था “संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर जिस पर आपने हस्ताक्षर किये हैं वह एक ऐसी शक्तिशाली नींव है जिस पर हम एक सुन्दर विश्व का निर्माण कर सकते हैं।” संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व सचिव डॉग

हैमरशोल्ड के अनुसार – “यह एक विश्वास का प्रतीक है, विश्व की शांति इसी से संभव है, यह आशा से अनुपारित कार्य करने का एक मंत्र है। विश्व के अनेक कार्यों में यह कल्याणकारी कार्यों के निष्पादन में एक ढाँचे का कार्य करता है।”

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का एक परिचय

प्रत्येक स्थाई सदस्य देश को वीटो का अधिकार है। इस अधिकार के तहत यदि एक भी स्थाई सदस्य प्रस्ताव के विरुद्ध वोट देता है तो उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कोई स्थाई सदस्य मतदान के समय अनुपस्थित रहता है तो उस पर स्वीकृति की मोहर लग सकती है। शीत युद्ध के बाद वीटो के अधिकार के इस्तेमाल में कमी से सुरक्षा परिषद् एक प्रभावी संस्था के रूप में उभरी है। सुरक्षा परिषद् इस बात को बहुत तरजीह देती है कि सशस्त्र संघर्ष न हों। लेकिन यदि विवाद बढ़ जाता है तो परिषद् उसे

सुलझाने के लिए सबसे पहले कूटनीतिक समाधान का सहारा लेती है। यदि विवाद फिर भी जारी रहता है तो परिषद् संघर्ष विराम लागू करने और शांतिसेना तैनात करने पर विचार करती है। परिषद् संयुक्त राष्ट्र देशों को प्रतिबंध लागू करने का आदेश भी दे सकती है। अंतिम समाधान के रूप में यह आक्रमणकारी देश के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का अधिकार भी दे सकती है।

सुरक्षा परिषद् के पुर्नगठन की मांग:-

सुरक्षा परिषद् को संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहा जाता है। यही एक ऐसा अंग है जो अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाये रखने तथा आक्रमकता के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करने में सक्षम है। निकोलस के शब्दों में यह एक पुलिसमैन के समान है जो सशस्त्र है और थोड़े से इशारे पर तलवार खींच सकता है।

सुरक्षा परिषद् में दो प्रकार के सदस्य होते हैं - स्थायी सदस्य तथा अस्थायी सदस्य। परिषद् के 5 स्थायी सदस्य फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका तथा चीन हैं। दो मूल सदस्य चीनी गणराज्य तथा सोवियत संघ का स्थान इनके उत्तराधिकार के सफल दावेदारों चीन व रुस ने ले लिया। हालांकि घोषणा-पत्र के अनुच्छेद 23 में आवश्यक सुधार नहीं किया गया। सुरक्षा परिषद् के अस्थायी सदस्यों की संख्या प्रारम्भ में 6 थी वर्तमान में 10 अस्थायी सदस्य हैं।

निषेधाधिकार की शक्ति:-

चार्टर की धारा 27 में सुरक्षा:- परिषद् में मतदान की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार प्रक्रिया संबंधी विषय का निर्णय सदस्यों के स्वीकारात्मक मत से किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त सब विषय महत्वपूर्ण या सारवान (Substantive) समझे जाते हैं। ऐसे विषयों के निर्णय के लिए सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट के साथ 5 स्थायी सदस्यों में से कोई एक भी किसी महत्वपूर्ण निर्णय के विपक्ष में वोट दे देता है तो वह विषय अस्वीकृत समझा जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक स्थायी सदस्य को निषेधाधिकार (Veto) प्राप्त है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत

1. भारत 7 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का अस्थायी सदस्य रह चुका है - 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92 और 2011-2012।
2. भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से एक है

3. भारत ने 1945 में सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया, इसके शिष्टमंडल का नेतृत्व सर सी पी रामास्वामी मुदलियार ने किया।
4. भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना संबंधी अभियानों में योगदान करने वाला सबसे बड़ा देश है।
5. भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना से संबंधित 64 अभियानों में से 43 अभियानों में 1,60,000 से अधिक सैनिकों का योगदान किया है।
6. संयुक्त राष्ट्र के नीले झंडे के नीचे लड़ते हुए भारतीय सशस्त्र एवं पुलिस बल के 160 से अधिक कार्मिकों ने अपने जीवन की आहुति दी है।
7. संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना के लिए चल रहे 14 मिशनों में से 7 मिशनों में भारतीय सशस्त्र बल भाग ले रहा है।
8. भारत ने उपनिवेशी देशों एवं लोगों को आजादी प्रदान करने पर 1960 की महत्वपूर्ण घोषणा को सह प्रायोजित किया। इस घोषणा के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए गठित विशेष समिति की सी.एस. झा ने अध्यक्षता की।
9. भारत ऐसे देशों में से पहला देश था जिन्होंने 1946 में संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के मुद्दे को उठाया।
10. भारत 1965 में अपनाए गए सभी रूपों के नस्लीय भेदभावों के उन्मूलन पर अभिसमय पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले देशों में से एक था।
11. भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार के मुद्दे को आगे बढ़ाया है यह परमाणु हथियारों से लैस एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की मांग की है।
12. 1996 में 20 अन्य देशों के साथ भारत ने परमाणु हथियारों के चरणबद्ध उन्मूलन के लिए कार्य योजना प्रस्तुत किया (1996 - 2020)।
13. भारत ने विकासशील देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र के ओ डी ए अनुमानों का सुनिश्चय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

14. भारत ने ब्राजील, जापान और जर्मनी के साथ मिलकर 2005 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों की मांग करने के लिए जी-4 का गठन किया।
15. 1996 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक प्रारूप व्यापक अभिसमय (सी सी आई टी) प्रस्तुत किया।
16. भारत ने 2005 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि का गठन किया तथा इसमें योगदान करने वाले प्रमुख देशों में से एक है।

सुरक्षा परिषद् में भारत की स्थायी सदस्यता का दावा

भारत शांति, सहअस्तित्व, पंचशील, गुटनिपेक्षता के सिद्धान्तों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी आस्था प्रकट करते हुए इसका सदस्य बना। वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से ओतपोत भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के सक्रिय सदस्य के रूप में उभरा। राष्ट्रों के बेहतर राजनीतिक, आर्थिक परिवेश तथा वैश्विक भूमण्डलीकरण के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के महत्व एवं दायित्वों में गुणात्मक वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय चुनौतियों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है।

भारत लंबे समय से इस पुनर्गठन का प्रश्न परिषद् की बैठकों में उठाता रहा है। कालांतर में इसका प्रभाव यह पड़ा कि संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य देश भी इस प्रश्न की कड़ी के साझेदार बनते चले गए। परिषद् के स्थायी व वीटो-धारी देशों में अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भी अपना मौखिक समर्थन इन प्रश्नों के पक्ष में देते रहे हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है, जब संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से दो तिहाई से भी अधिक देशों ने सुधार और विस्तार के लिखित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के चलते अब यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के अजेंडे का अहम् मुद्दा बन गया है। नतीजतन अब यह मसला एक तो परिषद् में सुधार की मांग करने वाले भारत जैसे चंद देशों का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि महासभा के सदस्य देशों की सामूहिक कार्यसूची का अनुत्तरित प्रश्न बन गया है। जिसका देर-सबेर हल होना तय है। दूसरा प्रस्ताव परिषद् के पुनर्गठन से जुड़ा है। इसके तहत सुरक्षा परिषद् में प्रतिनिधित्व को समतामूलक बनाना है। इस मकसद पूर्ति के लिए परिषद् के सदस्य देशों में से नए स्थायी सदस्य देशों की संख्या बढ़ानी होगी। यह संख्या बढ़ती है तो परिषद् की असमानता दूर होने की संभावना स्वतः बढ़ जाएगी।

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र है। पिछले पांच दशकों का भारतीय इतिहास एवं रिकार्ड बेहद साफ-सुथरा एवं पारदर्शी रहा है। भारत ने अपनी उपर्युक्त पात्रता को देखते हुए 21 सितम्बर 2004 को इसके लिए अपना दावा प्रस्तुत किया। इसके साथ ही भारत ने घोषणा की, कि यह कोई भी दायित्व वहन करने की ऊर्जा एवं सामर्थ्य रखता है। भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जो अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर उनके हितों की उचित ढंग से रक्षा कर सकता है। भारत ने विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने में भारत अग्रणी रहा है। भारत की विराट जनसंख्या एवं नीतिगत सम्बन्धता, सुदृढ़ अर्थव्यवस्था तथा विश्व का सर्वाधिक विशाल लोकतंत्र है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व भारत ने ही किया है।

निष्कर्ष:

भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थक है तथा सुरक्षा परिषद् की स्थायी सदस्यता का प्रबल दावेदार है। अगर सुरक्षा परिषद् में संशोधन होता है तब भारत का दावा मजबूत हो जाता है पर यह महासभा के सदस्यों के राजनीतिक हितों पर निर्भर करता है। आज नई विश्व व्यवस्था बढ़ते नैतिक संघर्ष तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धा की गवाह है। कोसोवो संकट (यूगोस्लाविया) ऐसे संघर्ष का उदाहरण है जो गम्भीर नाटों के मिसाइल आक्रमण में परिणित हो गया। हम लोग एक नए तरह की शक्ति पद्धति की दहलीज पर हैं जिसके शक्ति संरचना में रूस, जापान, चीन, अमेरिका तथा भारत शामिल होंगे। हालांकि भारत कई दृष्टियों से न केवल सुरक्षा परिषद् में स्थायी सदस्यता की हैसियत रखता है, बल्कि वीटो-शक्ति हासिल कर लेने की पात्रता भी उसमें है। क्योंकि वह दुनिया का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है। सवा अरब की आबादी वाले देश भारत में अनेक अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों को वहीं संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, जो बहुसंख्यक हिंदुओं को मिले हैं। भारत ने साम्राज्यवादी मंशा के दृष्टिगत कभी किसी दूसरे देश की सीमा पर अतिक्रमण नहीं किया, जबकि चीन ने तिब्बत पर तो अतिक्रमण किया ही, तिब्बतियों की नस्लीय पहचान मिटाने में भी लगा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी अहम् भूमिका निभाई है। बावजूद सुरक्षा परिषद् की सदस्यता हासिल करने में बाधा बने पैंच अपनी जगह बदस्तूर हैं। दरअसल पी-5 देश यह कतई नहीं चाहते कि जी-4 देश सुरक्षा परिषद् में शामिल हो जाएं। जी-4 देशों में भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी शामिल हैं। यही चार वे देश हैं, जो सुरक्षा परिषद् में शामिल होने की सभी पात्रताएं रखते हैं। किंतु परस्पर हितों के टकराव के चलते चीन यह कतई

नहीं चाहता कि भारत और जापान को सदस्यता मिले। ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी के प्रतिद्वंद्वी देश हैं। जर्मनी को सदस्यता मिलने में यही रोड़े अटकाने का काम करते हैं। महाद्वीपीय प्रतिद्वंद्विता भी अपनी जगह कायम है। यानी एशिया में भारत का प्रतिद्वंद्वी जापान है। लातीनी अमेरिका से ब्राजील, मैक्सिको और अर्जेन्टीना सदस्यता के लिए प्रयासरत हैं। तो अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया जोर-आजमाइश में लगे हैं। जाहिर है, परिषद् का पुनर्गठन होता भी है तो भारत जैसे देशों को बड़े पैमाने पर अपने पक्ष में प्रबल दावेदारी तो करनी ही होगी, बेहतर कूटनीति का परिचय भी देना होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

डैयूग हेमर शोल्ड – “संयुक्त राष्ट्र” नई दिल्ली आई. सी. डब्ल्यू. ए 1970

यूनाइटेड नेशन्स ईयर बुक्स 1990-1997

बैकुण्ठनाथ सिंह, “अन्तर्राष्ट्रीय संगठन” ज्ञानन्दा प्रकाशन, नई दिल्ली।

बी. एल. फडिया, “अन्तर्राष्ट्रीय संबंध” साहित्य भवन, आगरा 1996।

दीनानाथ वर्मा, “अन्तर्राष्ट्रीय संबंध” ज्ञानन्दा प्रकाशन पटना 1996।

दुर्गादास, “भारत व विश्व”।

एम. वी कामथ, “भारत व संयुक्त राष्ट्र संघ।

के. पी. करुणाकरण:- “भारत तथा विश्व संबंध 1947-50 बम्बई 1952

Corresponding Author

Monu*

M.A. in History (UGC NET /JRF) MDU, Rohtak

mail2monurohilla@gmail.com